[2018] 1 एस. सी. आर. 1096

इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

वी.

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड

और अन्य

(2018 की सिविल अपील संख्या 18)

फरवरी 23,2018

[ए. के. सिकरी और अशोक भूषण, जे. जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और

प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 का प्रवर्तनः

एसएस। 2 (1) (च), 2 (1) (जेडबी), 2 (1) (जेडएफ) और 2 (1) (जेडडी), और 13 (1) और (4)-प्रत्यर्थी (उधारकर्ता) को दिया गया ऋण-एक गैर-वित्तीय द्वारा

कंपनी (2002 अधिनियम के तहत शामिल नहीं)-बाद में कंपनी अपीलार्थी के साथ विलय-कंपनी (एक वित्तीय कंपनी जो इसके अंतर्गत आती है)

2002 अधिनियम) के तहत कार्यवाही शुरू करने के लिए ऋण की वसूली के लिए

लागू नहीं किया जाएगा क्योंकि वह कंपनी जिसने ऋण दिया था ऋण देने के समय 2002 अधिनियम द्वारा कवर नहीं किया गया था

अपील की गईः विलय/समामेलन की योजना की मंजूरी पर, सभी ऋण, वसूली, प्रतिभूति, ब्याज, वित्तीय दस्तावेज आदि।

पूर्ववर्ती कंपनी का पक्ष स्थानांतरित हो गया और खड़ा हो गया

अपीलार्थी-कंपनी में निहित-इस प्रकार, उधारकर्ता बन गए अपीलार्थी के उधारकर्ता-कंपनी

अंतर्निहित के साथ ऋण

प्रतिभूतियाँ पूर्ववर्ती कंपनी की परिसंपत्ति थी जिसका उसे अधिकार था

सहमति लिए बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित/सौंपना।

इसलिए, प्रत्यर्थी के रूप में माना जाएगा

' उधारकर्ता '; व्यवस्था को' प्रतिभूति 'के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा

व्यवस्था '; समझौतों ने' सुरक्षा हित 'पैदा किया और अपीलार्थी 2002 के अधिनियम के तहत 'सुरक्षित लेनदार' बन गया।

एस. 13 (1) और (4)-इसके तहत कार्यवाही-क्या वर्जित है यदि मामला है

यू/एस दाखिल किया। 9 मध्यस्थता अधिनियम का, मध्यस्थता खंड का आह्वान-आयोजितः 2002 अधिनियम एक विशेष अधिनियम और मध्यस्थता अधिनियम होने के कारण

सामान्य प्रकृति के कानून, 2002 अधिनियम को उच्च स्तर पर रखा जाएगा।

केवल इसलिए कि कदम सामान्य कानून के तहत उठाए जाते हैं, इसके तहत उपाय किया जाता है

विशेष कद को पूर्ववत नहीं किया जा सकता-मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 एस। 9 .
—

1096 इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़ना: 1. प्रतिभूतियों के तहत कार्यवाही और

वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम) को उच्च स्तर पर रखा जाना है। सरफेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जिसे संसद द्वारा न्यायालय का सहारा लिए बिना बैंकों और वित्तीय संस्थानों को त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था। दूसरी ओर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, इसके विपरीत, सामान्य प्रकृति का एक क़ानून है। केवल इसलिए कि इस सामान्य कानून के तहत कदम उठाए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विशेष क़ानून के तहत उपचार को बंद कर दिया गया है। [पैरा 11] [1105-ए-सी]

ट्रांसकोर वी. भारत संघ और ए. एन. आर. [2006] 9 पूरक।

एससीआर 785: (2008) 1 एस. सी. सी. 125-पर निर्भर था।

2.1 ऋण/ऋण/वित्तीय परिसंपत्तियाँ दोनों द्वारा दायर समामेलन योजना के अनुसार अपीलार्थी में निहित थीं। कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के तहत कंपनियां जिनके तहत पूर्ववर्ती कंपनी का विलय किया गया था

उत्तरदाता उधारकर्ताओं, ऋणों के लिए पूर्ववर्ती कंपनी पूर्ववर्ती कंपनी द्वारा प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं से वसूली योग्य, प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं द्वारा पूर्ववर्ती कंपनी के पक्ष में निष्पादित सुरक्षा दस्तावेज, आदि। योजना की मंजूरी पर, प्रत्यर्थी उधारकर्ता अपीलार्थी के उधारकर्ता बन गए जैसे कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी। [पारस 33 और 34] [1121-ई-एफ; 1120-जी-एच]

सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड बनाम। आयकर आयुक्त [1990] पूरक। एससीआर 332: (1990) पूरक।

एस. सी. सी. 675-पर निर्भर था।

2.2 अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण पूर्ववर्ती कंपनी की संपत्ति है और यह कि पूर्ववर्ती कंपनी को उधारकर्ता की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने/सौंपने का अधिकार था। इस तरह के स्थानांतरण/कार्य को मान्यता दी जाती है। [पैरा

35] [1121 - जी] [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम एपीएस स्टार का आधिकारिक परिसमापक

उद्योग और अन्य [2010] 12 एस. सी. आर. 644: (2010) 10

एस. सी. सी. 1-निर्भर।

2.3 यह कहना बहुत दूर की बात है कि केवल उत्तरदाताओं से बकाया वसूलने के लिए, पूर्ववर्ती कंपनी और अपीलार्थी ने विलय की योजना तैयार की ताकि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके। [पैरा 37] [1122-सी]

2.4 यह कहना भी सही नहीं होगा कि अगर विलय के कारण ही ऋण को सरफेसी अधिनियम के दायरे में लाने की अनुमति दी जाती है

और अपीलार्थी को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत सहारा लेने की अनुमति है, यह संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 69 और 69 ए के तहत प्रतिस्पर्धा करने वाले उधारकर्ताओं के मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा। [पैरा 10 और 39] [1104-ई-एफ]

मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। [2004] 3 एससीआर 982: (2004) 4 एस. सी. सी. 311; यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया बनाम। सत्यवती टंडन और अन्य [2010] 9 एससीआर

1 : (2010) 8 एस. सी. सी. 110-पर निर्भर।

2.5 इसलिए, प्रतिवादी संख्या 1 को इस रूप में माना जाएगा

' ऋणकर्ता 'सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (च) के अर्थ के भीतर; व्यवस्था को धारा 2 (1) (जेडबी) के तहत' सुरक्षा व्यवस्था 'के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा; समझौतों ने धारा 2 (1) (जेडएफ) के तहत' सुरक्षा ब्याज 'बनाया; और अपीलकर्ता' सुरक्षित 'हो गया। सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (जेडडी) के अर्थ के भीतर 'लेनदार'। [पैरा 43] [1127-सी-डी]

एम. डी. फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड और ओआरएस। वी. हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड (2017) एस. सी. सी. ऑनलाइन एस. सी. 1211-पर निर्भर था। पी. के. उन्नी बनाम निर्मला इंडस्ट्रीज और अन्य [1990] 1 एस. सी. आर. 483: (1990) 2 एस. सी. सी. 378; भारत संघ बनाम। एल्फिन स्टोन स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी लिमिटेड और अन्य [2001] 1 एससीआर 221: (2001) 4 एस. सी. सी. 139; दिल्ली वित्तीय निगम और एक अन्य v. राजीव आनंद और अन्य

(2004) 11 एस. सी. सी. 625; ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम पी. एन. बी. सर्विस लिमिटेड [2000] 1 पूरक। एससीआर 38: (2000) 5 एस. सी. सी. 515; पद्म सुंदर राव बनाम। तमिलनाडु राज्य (2002) 3 एस. सी. सी. 533-लागू नहीं किया गया।

आई. ए. बुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v. एम/एस। डी. ई. सी. सी. क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड

सार्थक बिल्डर्स प्रा. लिमिटेड, चिंता, अरुणोदय मार्केट,

निगम लिमिटेड, स्टेशन स्क्वायर, भुवनेश्वर और 5 ओआरएस। (2014) एस. सी. सी. ऑनलाइन ओ. आर. 75; त्र्यंबक दामोदर

रायपुरकर बनाम। आसाराम हीरामन पाटिल, [1962] 1 पूरक।

एस. सी. आर. 700 संदर्भित है।

वेस्ट वी. ग्वेनी, 1911 2 सीएच 1 पीपी पर। 11 , 12 ; री में

एथलमनी। एक्स पार्टे विल्सन, (1898) 2 क्यू. बी. 547

-

संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

6] 9 पूरक। एस. सी. आर. 785 पर निर्भर

पैरा 11

7) एससीसी ऑनलाइन एससी 1211

उस पर भरोसा करें

पैरा 14

2] 1 पूरक एस. सी. आर. 700

संदर्भित किया गया है

पैरा 20

अप्रयोज्य रखा गया

0] 1 एससीआर 483

पैरा 23

अप्रयोज्य रखा गया

1] 1 एससीआर 221

पैरा 23

अप्रयोज्य रखा गया

4) 11 एस. सी. सी. 625

पैरा 23

0] 1 पूरक। एससीआर 38

अप्रयोज्य रखा गया

पैरा 27

अप्रयोज्य रखा गया

2) 3 एस. सी. सी. 533

पैरा 28

0] 12 एससीआर 644

उस पर भरोसा करें

पैरा 35

0] पूरक। एससीआर 332

उस पर भरोसा करें

पैरा 33

4) एस. सी. सी. ऑनलाइन ओरि 75

संदर्भित किया गया है

पैरा 38

4] 3 एससीआर 982

उस पर भरोसा करें

पैरा 40

0] 9 एससीआर 1

उस पर भरोसा करें

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय: सिविल अपील सं. 1

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च सी डिकचर के निर्णय और आदेश दिनांक 04.02.2014 से रिट याचिका संख्या 37 में

13

के साथ

अवमानना याचिका (सिविल) सं। 756 और 2017 का 1693।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

डॉ. ए. एम. सिंघवी, श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता, ऋषि अग्रवाल, अंकुर सहगल, ऋषभ पारिख, निशांत राव, ई. सी. अग्रवाल, अधिवक्ता

एम/एस। ए. पी. एंड जे. चैम्बर्स, कुलदिप एस. परिहार, एच. एस. परिहार, सी. मुकुंद, एम. बी. इलाक्कुमानन, बिजॉय कुमार जैन, सुश्री पूजा धर, राहुल प्रताप, जय कुमार भारद्वाज, दमयंती जुनेजा, सुधांशु पी., उत्तरदाताओं के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

ए. के. सिकरी, जे. 1. इंडियाबुल्स हाउसिंग द्वारा पसंद की गई यह अपील

फाइनेंस लिमिटेड, जिसमें मुख्य चुनाव लड़ने वाले दल मेसर्स हैं। डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड और उसके निदेशक (अन्य प्रतिवादी प्रारूप पक्ष हैं), हैदराबाद में आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय द्वारा 04 फरवरी, 2014 को पारित निर्णय और आदेश की शुद्धता और वैधता पर सवाल उठाते हैं। विवादित निर्णय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका में पारित किया जाता है, जिसे प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं द्वारा दायर किया गया था, जिसमें अपीलकर्ता द्वारा प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं के खिलाफ किए गए कार्यों की वैधता पर सवाल उठाया गया था।

ऋण राशि की वसूली के लिए वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति ब्याज अधिनियम, 2002 (जिसे इसके बाद 'सरफेसी अधिनियम' के रूप में संदर्भित किया गया है), ब्याज के साथ, जो प्रतियोगी उत्तरदाताओं द्वारा अपीलार्थी को देय हैं।

2. उच्च न्यायालय ने द्वारा रखी गई चुनौती को स्वीकार कर लिया है

प्रतिवाद करने वाले उत्तरदाताओं का मानना है कि:

(क) ऋण समझौतों में मध्यस्थता खंड शामिल थे जो थे -

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 9 के तहत मामले दर्ज करने के साथ अपीलार्थी द्वारा लागू किया गया। नज़र में

इसके तहत, सरफेसी अधिनियम के तहत किसी भी अन्य कार्यवाही की शुरुआत कानून में अस्वीकार्य है; और

(ख) ऋण शुरू में मेसर्स द्वारा दिया गया था। इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज

08 दिसंबर, 2011 और 05 जनवरी, 2012 को प्रत्येक को Rs.50 करोड़ की राशि में सीमित (संक्षेप में, 'IBFSL')। आई. बी. एफ. एस. एल. सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (डी)

और (एम) के अर्थ के भीतर एक बैंकिंग कंपनी या वित्तीय संस्थान नहीं था और इसलिए, इस अधिनियम के प्रावधानों को लागू करके कोई कदम उठाने का अधिकार क्षेत्र नहीं था। हालांकि, आई. बी. एफ. एस. एल. का अपीलकर्ता कंपनी के साथ विलय हो गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अपीलार्थी एक वित्तीय इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v है।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

सरफेसी अधिनियम के तहत संस्था। हालाँकि, चूंकि आई. बी. एफ. एस. एल. को उक्त अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई शुरू करने का कोई अधिकार नहीं था, इसलिए एक उत्तराधिकारी के रूप में, अपीलकर्ता आई. बी. एफ. एस. एल. के पक्ष में कदम रखता है और इसलिए, वह भी सरफेसी अधिनियम के तहत कोई कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता है। यदि इसकी अनुमति है, तो उच्च न्यायालय ने कहा,
संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 69 और 69ए के तहत प्रत्यर्थियों के मूल अधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होंगे, जो -

मुखरता से।

3. पक्षों के बीच किए गए लेन-देन और विवादित लेनदेन के आधार की झलक देने के बाद

उच्च न्यायालय के निर्णय पर, हम उन विवरणों पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं जिन पर एल. आई. एस. की स्थापना की गई है।

4. हम मामले के संक्षिप्त तथ्यों के वर्णन के साथ शुरुआत कर सकते हैं, जो इस प्रकार हैं: 18 अप्रैल, 2005 को आई. बी. एफ. एस. एल. को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-1 (ए) के तहत गैर-सरकारी बैंक के रूप में काम करने के लिए एक प्रमाण पत्र दिया गया था।

बैंकिंग वित्तीय कंपनी और, इस प्रकार, एक वित्तीय संस्थान के रूप में कार्य करती है

उक्त अधिनियम। अपीलार्थी को 10 मई, 2005 को शामिल किया गया था। अपीलार्थी और आई. बी. एफ. एस. एल. सहयोगी चिंताएँ थीं। अपीलार्थी को आवास वित्त संस्थान का व्यवसाय शुरू करने के लिए 28 दिसंबर, 2005 का पंजीकरण प्रमाण पत्र दिया गया था। केंद्र सरकार, वीडियो

19 सितंबर, 2007 को सर्फेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) के तहत जारी अधिसूचना में याचिकाकर्ता को 'वित्तीय संस्थान' के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

उक्त अधिनियम के उद्देश्य। आई. बी. एफ. एस. एल. ने दिनांकित ऋण समझौते के माध्यम से उत्तरदाता उधारकर्ताओं को Rs.50 करोड़ की ऋण राशि वितरित की।

08 दिसंबर, 2011। विभिन्न संपत्तियों पर न्यायसंगत बंधक बनाकर प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं द्वारा ऋण सुविधा को सुरक्षित किया गया था। आई. बी. एफ. एस. एल. ने 05 जनवरी, 2012 के ऋण समझौते के माध्यम से प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को 1 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि भी वितरित की। ऋण सुविधा विभिन्न संपत्तियों पर न्यायसंगत बंधक बनाकर प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं द्वारा फिर से प्रतिभूति थी।

5. वर्ष 2012 में किसी समय यह प्रस्ताव दिया गया था कि आई. बी. एफ. एस. एल. का अपीलार्थी के साथ विलय हो जाए। राष्ट्रीय आवास बैंक के साथ-साथ भारतीय रिजर्व बैंक को उपरोक्त प्रस्ताव के बारे में सूचित करने और उन्हें विलय की योजना की प्रतियां प्रस्तुत करने की औपचारिकताओं को पूरा

करने के बाद, अपीलार्थी ने भारतीय [2018] 1 एस. सी. आर. की धारा 391-394 के तहत एक याचिका दायर की।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपीलार्थी के साथ आई. बी. एफ. एस. एल. के विलय के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में कंपनी अधिनियम, 1956। उच्च न्यायालय ने कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के तहत विभिन्न कदम उठाने के बाद अंततः 12 दिसंबर, 2012 के आदेशों के माध्यम से आई. बी. एफ. एस. एल. और अपीलार्थी के बीच व्यवस्था की योजना को मंजूरी दी। उपरोक्त विलय की मंजूरी के साथ, आई. बी. एफ. एस. एल. की परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ अपीलार्थी में निहित हो गईं, जिसमें आई. बी. एफ. एस. एल. को अपीलार्थी के साथ इसके विलय पर समाप्त किए बिना भंग कर दिया गया। उक्त विलय के अनुसरण में, प्रतिवादी उधारकर्ताओं सहित आई. बी. एफ. एस. एल. के उधारकर्ता, अपीलार्थी के उधारकर्ता बन गए। 6. जहां तक प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं का संबंध है, उन्होंने आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा उन्हें दिए गए ऋणों को चुकाने में चूक की थी और इसलिए, विलय से पहले ही, आई. बी. एफ. एस. एल. ने प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को 18 सितंबर, 2012 को ऋण वापस लेने का नोटिस जारी किया था। 04 मार्च, 2013 को, आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा प्रतियोगी उत्तरदाताओं और अन्य सह-उधारकर्ताओं के ऋण खातों को गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों (एन. पी. ए.) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 6 मार्च, 2013 को आई. बी. एफ. एस. एल. ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर की, जो ओ. पी. संख्या 377 और 2013 की धारा 378 है। मुख्य न्यायाधीश, सिटी सिविल कोर्ट, हैदराबाद प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं द्वारा देय राशि को सुरक्षित करने के लिए। प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं और उसमें अन्य सह-उधारकर्ताओं को किसी भी तरह से अनुसूचित संपत्तियों को तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने से रोकने के लिए एक विज्ञापन-अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की गई थी। 12 अप्रैल, 2013 के आदेश द्वारा अनुमोदित व्यवस्था की योजना को प्रभावी बनाते हुए 08 मार्च, 2013 को कंपनी पंजीयक के पास दाखिल किया गया था। अपीलार्थी ने आई. बी. एफ. एस. एल. को देय ऋणों के संबंध में आई. बी. एफ. एस. एल. के स्थान पर कदम रखते हुए, प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं और अन्य सह-उधारकर्ताओं को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत 08 मार्च, 2013 को नोटिस जारी किया। इसके बाद 29 मई, 2013 को सर्फेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत नोटिस जारी किया गया था।

गिरवी रखी गई संपत्तियों का प्रतीकात्मक कब्जा लेना।

7. इसमें उत्तरदाताओं ने 17 जुलाई, 2013 को धारा 17 के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष 2013 की एस. ए. संख्या 182 दायर की।

सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (4) के तहत उपायों को लागू करने वाले अपीलार्थी की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सरफेसी अधिनियम। कुछ ही दिनों में

इसके बाद 30 जुलाई, 2013 को प्रतिवादी संख्या 1 ने भी 2013 की रिट याचिका संख्या 22688 दायर की, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ खाते को एन. पी. ए. घोषित करने और मुख्य महानगर मजिस्ट्रेट द्वारा आदेश पारित करने को चुनौती दी गई थी।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 14 के तहत।

इसी तरह की रिट याचिकाएं, जो कि इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v हैं। एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

याचिका सं. लिखें। 22689 और 2013 का 22934 प्रत्यर्थी द्वारा दायर किया गया था

नंबर 1 का कर्मचारी संघ और प्रतिवादी नंबर 4 क्रमशः। 04 सितंबर, 2013 को उत्तरदाताओं ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण, चंडीगढ़ के समक्ष दायर 2013 की एस. ए. संख्या 182 को बिना शर्त वापस ले लिया। द.

अपीलार्थी ने 21 नवंबर, 2013 को एक नीलामी नोटिस जारी किया जिसमें प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को सूचित किया गया कि प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं की बंजारा हिल संपत्तियों की नीलामी 24 दिसंबर, 2013 को की जाएगी। इस मोड़ पर, 19 दिसंबर, 2013 को, प्रतिवादी सं। 1 उच्च न्यायालय के समक्ष 2012 की रिट याचिका संख्या 37381 दायर की गई। 8. उपरोक्त रिट याचिका में, उच्च न्यायालय ने 20 दिसंबर, 2013 को अंतरिम आदेश पारित किए, जिसमें पक्षों को यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया। 23 दिसंबर, 2013 को एक और अंतरिम आदेश पारित किया गया था।

अपीलार्थी को नीलामी को अंतिम रूप नहीं देने का निर्देश देना, हालांकि उसे बोलियां प्राप्त करने की अनुमति दी गई थी। हालाँकि, उक्त नीलामी सफल नहीं हो सकी, क्योंकि अपीलार्थी के अनुसार, प्रतिस्पर्धा करने वाले उत्तरदाताओं से संबंधित कुछ बदमाश मौके पर आए और इच्छुक खरीदारों को धमकी दी और यहां तक कि उत्तरदाताओं के प्रतिनिधियों को पीटने की कोशिश की और इसलिए नीलामी को रद्द करना पड़ा। इसके बाद अपीलार्थी ने 28 दिसंबर, 2013 को एक और नीलामी नोटिस जारी किया, जिसमें बंजारा हिल्स और राजभवन रोड संपत्तियों के संबंध में नीलामी की तारीखें क्रमशः 3 और 4 फरवरी 2014 तय की गईं। बंजारा हिल्स की संपत्तियों के संबंध में नीलामी 3 फरवरी, 2014 को निर्धारित तिथि के अनुसार हुई थी। हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के कारण बिक्री को अंतिम रूप नहीं दिया गया था।

अदालत। 04 फरवरी, 2014 को जब अगली संपत्ति की नीलामी की जानी थी, तब उच्च न्यायालय ने 2013 की रिट याचिका संख्या 37381 में फैसला सुनाया।

9. जैसा कि पहले ही ऊपर बताया गया है, उच्च न्यायालय इस तथ्य से प्रभावित है कि आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा आई. बी. एफ. एस. एल. की धारा 9 के प्रावधानों को लागू करने के बाद पक्षकारों के बीच मध्यस्थता समझौते को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थता अधिनियम और इस ओर से दायर याचिकाएं, अपीलार्थी के लिए सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने के लिए खुला नहीं था। यह पहलू है -

निम्नलिखित तरीके से निष्कर्ष निकाला गया:

" मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आई. बी. एफ. एस. एल. के नाम पर 2013 की दो ओ. पी. यानी 377 और 378 पहले ही दायर की जा चुकी हैं। समझौतों में मध्यस्थता खंड मौजूद है

पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में निकाला गया। मध्यस्थता की धारा 8 [2018] 1 एस. सी. आर.

अधिनियम यह स्पष्ट करता है कि यदि पक्षों के बीच समझौते में मध्यस्थता खंड शामिल है, तो अन्य कार्यवाहियों की स्थापना

प्रतिबंधित है। जब एक समझौते के लिए एक पक्ष द्वारा एक मुकदमा स्थापित नहीं किया जा सकता है, जिसमें एक मध्यस्थता खंड शामिल है,

अन्य मंचों के समक्ष कार्यवाही समान रूप से असमर्थनीय हो जाती है। सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को एक पर नहीं रखा जा सकता है ऊँची पीठ। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (एफ) के तहत परिभाषित एक सुरक्षित वित्तीय संस्थान के उधारकर्ता को मध्यस्थता अधिनियम की धारा 8 के संदर्भ में उच्च न्यायालय के रूप में नहीं माना जा सकता है। जब मध्यस्थता की कार्यवाही पहले ही शुरू की जा चुकी हो, तो चौथे प्रतिवादी को अनुमति नहीं दी जा सकती है, उन्हें अनदेखा किया जा सकता है और प्रतिभूति के खिलाफ आगे बढ़ाया जा सकता है।

10. उच्च न्यायालय ने कहा कि प्रतिस्पर्धा करने वाले प्रत्यर्थियों ने अपीलार्थी से कोई राशि उधार नहीं ली थी। से लिया गया था कर्ज

आई. बी. एफ. एस. एल., जो सरफेसी अधिनियम के दायरे में नहीं था। इसलिए, ऋण लेने के समय, प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को पता था कि आई. बी. एफ. एस. एल. सरफेसी अधिनियम का सहारा लेने की स्थिति में नहीं होगा। अपीलार्थी के साथ आई. बी. एफ. एस. एल. के विलय के साथ, उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि ऋण लेनदेन जो एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के दायरे से बाहर था, उधारकर्ता की सहमति के बिना इसके दायरे में नहीं लाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के अनुसार, सरफेसी अधिनियम एक नई कानूनी व्यवस्था निर्धारित करता है और यदि ऋण को केवल विलय के कारण सरफेसी अधिनियम के भीतर लाने की अनुमति दी जाती है और अपीलकर्ता को सरफेसी अधिनियम के तहत सहारा लेने की अनुमति दी जाती है, तो यह इसके मूल अधिकारों को प्रभावित करेगा।

संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 69 और 69ए के तहत ऋणकर्ताओं को चुनौती देना। इस प्रक्रिया में, उच्च न्यायालय ने नोट किया है कि विचार

उत्तराखंड उच्च न्यायालय और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मामले उपरोक्त दृष्टिकोण के विपरीत हैं। हालाँकि, इसने यह निर्णय लेने में उड़ीसा उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत होने का फैसला किया कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे। उल्लेखनीय है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ ने स्वयं अपनी खंड पीठ के फैसले को खारिज कर दिया है।

11. हम इस स्तर पर यह दर्ज कर सकते हैं कि जिस मुख्य आधार पर सरफेसी अधिनियम के तहत जारी नोटिस को रद्द किया गया था, वह है -

विलय पर आई. बी. एफ. एस. एल. की परिसंपत्तियों और देनदारियों को संभालने वाले अपीलार्थी द्वारा अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने की अक्षमता। जहां तक अन्य मुद्दे का संबंध है, अर्थात् सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं किया जा सका क्योंकि आई. बी. एफ. एस. एल. ने पहले ही मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत याचिका दायर करके तंत्र को लागू कर दिया था।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

यह सहायक मुद्दे के रूप में तय किया जाता है। जहाँ तक इस सहायक प्रश्न का संबंध है, प्रत्यर्थी के विद्वान वकील ने इस आधार को गंभीरता से नहीं लिया और यह वस्तुतः स्वीकार किया गया कि केवल इसलिए कि आई. बी. एफ. एस. एल. ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आवेदन दायर किए थे, सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए एक बाधा नहीं बनाएगा। अन्यथा भी, हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने इस मुद्दे पर निर्णय लेने में गलती की थी। यह कहना सही नहीं है कि सरफेसी अधिनियम के तहत कार्यवाही को उच्च स्तर पर नहीं रखा जा सकता है। हम पाते हैं कि सरफेसी अधिनियम एक विशेष अधिनियम है जिसे संसद द्वारा बैंकों और वित्तीय संस्थानों को बिना किसी सहायता के त्वरित उपचार प्रदान करने के लिए अधिनियमित किया गया था।

कानून की अदालत। दूसरी ओर, मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, इसके विपरीत, सामान्य प्रकृति का एक क़ानून है। केवल इसलिए कि इस सामान्य कानून के तहत कदम उठाए गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि विशेष क़ानून के तहत उपचार को रोक दिया गया है। यदि बिल्कुल भी हो, तो कानूनी स्थिति इसके ठीक विपरीत है। मामला अब एकीकृत नहीं है और इस न्यायालय के एक फैसले में शामिल है

ट्रांसकोर वी. भारत संघ और Anr.[1] उस मामले में, बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली के प्रावधानों का विश्लेषण करने के बाद

संस्थान अधिनियम, 1993, न्यायालय ने स्थिति का सारांश इस प्रकार दिया:

" 18. डी. आर. टी. अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों का विश्लेषण करने पर हम पाते हैं कि जहां तक ऋण की वसूली का संबंध है, उक्त अधिनियम अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। यह पुनर्प्राप्ति के विभिन्न तरीकों का प्रावधान करता है। इसमें दूसरे और तीसरे के प्रावधान भी शामिल हैं। आयकर अधिनियम, 1961 की अनुसूचियाँ। इसलिए, वसूली प्रमाण पत्र के तहत देय ऋण की वसूली विभिन्न तरीकों से की जा सकती है। इसमें उल्लिखित उपचार एक दूसरे के पूरक हैं।

डी. आर. टी. की कार्यवाही में समय और देरी, गिरवी रखी गई संपत्तियों या गिरवी रखी गई संपत्तियों का मूल्य हमेशा गिरता है। मुद्रास्फीति के कारण, बैंक/वित्तीय संस्थान के हाथों में परिसंपत्तियों का मूल्य हमेशा कम हो जाता है, जिससे परिसंपत्ति-देयता बेमेल हो जाती है। ये डी. आर. टी. अधिनियम द्वारा आकस्मिकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है और इसलिए, संसद को एन. पी. ए. अधिनियम, 2002 लागू करना पड़ा।

1 (2008) 1 एससीसी 125 [2018] 1 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

12. इसके बाद, न्यायालय ने सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का विश्लेषण किया और फिर निर्णय के पैराग्राफ 37 में निर्धारण के तीन बिंदुओं को नोट किया जो विचार के लिए उत्पन्न हुए। हम उसमें तैयार किए गए बिंदु संख्या 1 से संबंधित हैं, जो नीचे दिया गया है:

" (i) क्या डी. आर. टी. अधिनियम, 1993 के संदर्भ में अपना उपाय करने के लिए चुने गए बैंक या वित्तीय संस्थान अभी भी सुरक्षित परिसंपत्तियों को प्राप्त करने के लिए एन. पी. ए. अधिनियम, 2002 का उपयोग कर सकते हैं।

डी. आर. टी. के समक्ष दायर ओ. ए. को वापस लेना या छोड़ना

डी. आर. टी. अधिनियम "।

13. इस प्रश्न पर विस्तृत चर्चा के बाद, न्यायालय ने खारिज कर दिया

यह अभिनिर्धारित करके कि डी. आर. टी. अधिनियम के प्रावधानों के तहत उपचार का लाभ उठाया गया था, चुनाव के सिद्धांत की प्रयोज्यता का मतलब यह नहीं होगा कि वित्तीय संस्थान को एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत कदम उठाने से रोक दिया गया था। इस प्रकार, सकारात्मक रूप में प्रश्न का उत्तर देते हुए, चर्चा का सार निम्नलिखित पैराग्राफ में दर्ज किया जा सकता है:

" 64. उपरोक्त चर्चा के आलोक में, अब हम चुनाव के सिद्धांत की जांच करते हैं। चुनाव के तीन तत्व हैं, अर्थात्, दो या दो से अधिक उपचारों का अस्तित्व; ऐसे उपचारों और उनमें से एक के चयन के बीच विसंगतियां। यदि तीन तत्वों में से कोई एक नहीं है, तो सिद्धांत लागू नहीं होगा। के अनुसार

अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस, 2 डी, वॉल्यूम। 25 , पी। 652 , यदि वास्तव में केवल एक ही उपाय है, तो चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एन. पी. ए. अधिनियम एक अतिरिक्त है।

डी. आर. टी. अधिनियम के लिए उपाय। एक साथ वे एक उपाय का गठन करते हैं और इसलिए, चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां तक कि

स्नेल के समानता के सिद्धांतों के अनुसार (31 वां संस्करण, पी। 119), उपचार के चुनाव का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब चुनाव के समय वादियों के लिए दो या दो से अधिक सह-अस्तित्व वाले उपचार उपलब्ध होते हैं जो अप्रिय और असंगत होते हैं। किसी भी स्थिति में, दोनों के बीच कोई असंगति या असंगति नहीं है

उपचार, इसलिए, चुनाव के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

65. हमारे विचार में, उच्च न्यायालयों के निर्णय जिन्होंने यह विचार रखा है कि चुनाव का सिद्धांत लागू होता है

गलत और अलग किए जाने के लिए उत्तरदायी।

66. हम दोनों अधिनियमों की योजना का पहले ही विश्लेषण कर चुके हैं। मूल रूप से, एन. पी. ए. अधिनियम को इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v में ब्याज को लागू करने के लिए अधिनियमित किया गया है।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो पक्षों के बीच अनुबंध के आधार पर या सामान्य कानून सिद्धांतों के संचालन या कानून द्वारा बैंक/एफ. आई. से संबंधित हैं। एन. पी. ए. की धारा 13 का उद्देश्य ही अधिनियम गैर-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा वसूली है। एन. पी. ए. अधिनियम के तहत एक सुरक्षित परिसंपत्ति एक ऐसी परिसंपत्ति है जिसमें उधारकर्ता द्वारा बैंक/एफ. आई. के पक्ष में ब्याज बनाया जाता है और केवल उसी आधार पर एन. पी. ए. अधिनियम गैर-न्यायिक प्रक्रिया द्वारा प्रतिभूति ब्याज को लागू करने का प्रयास करता है। अनिवार्य रूप से एन. पी. ए. अधिनियम लोगों के अधिकारों से संबंधित है।

सुरक्षित लेनदार। एन. पी. ए. अधिनियम इस आधार पर आगे बढ़ता है कि

ऋणी न केवल ऋण चुकाने में विफल रहा है, बल्कि वह मार्जिन के स्तर को बनाए रखने में भी विफल रहा है और प्रतिभूति के मूल्य को एक स्तर पर बनाए रखना ऋणी का दूसरा दायित्व है। यह अन्य दायित्व है जो एन. पी. ए. अधिनियम की प्रयोज्यता को आमंत्रित करता है। इसके लिए कारण यह है कि एन. पी. ए. अधिनियम की धारा 13 (1) और 13 (2) इस आधार पर आगे बढ़ती है कि बैंक/एफ. आई. में प्रतिभूति ब्याज को अदालत/न्यायाधिकरण के हस्तक्षेप के बिना तेजी से लागू करने की आवश्यकता है; कि उधारकर्ता का दायित्व अर्जित हो गया है और पुनर्भुगतान में चूक के कारण, बैंक की बही में उधारकर्ता का खाता है।

गैर-निष्पादित हो गया है। उपरोक्त कारणों से एन. पी. ए.

अधिनियम में कहा गया है कि प्रवर्तन गैर द्वारा किया जा सकता है

न्यायनिर्णायक प्रक्रिया और यह कि उक्त अधिनियम सभी बाधाओं को हटा देता है

उपरोक्त परिस्थितियों में प्रतिभू के अधिकारों पर लेनदार "।

14. इसके साथ, अब हम उस केंद्रीय मुद्दे को संबोधित करते हैं जिस पर दोनों पक्षों द्वारा विस्तृत तर्क दिए गए थे। हम यह नोट कर सकते हैं कि हमारे

चर्चा एक वर्जिन फील्ड पर नहीं है क्योंकि इस कोर्ट द्वारा एम. डी. फ्रोजन फूड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट में पहले ही इलाके को कवर किया जा चुका है। लिमिटेड और ओआरएस। वी. हीरो फिनकॉर्प Ltd.[2] अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया था कि यह मामला, जो सीधे बिंदु पर है, न केवल निहित है

इस प्रस्ताव को खारिज करते हुए कि ब्याज में उत्तराधिकारी (यहां अपीलकर्ता की तरह) को भी सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, भले ही मूल ऋणदाता अधिनियम के अंतर्गत आने वाली वित्तीय संस्था न हो, इसने विशेष रूप से आंध्र प्रदेश के फैसले को खारिज कर दिया है।

उच्च न्यायालय, जो अपील का विषय है। उस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि आगे की जांच करना भी आवश्यक नहीं था। बात है।

15. अपीलार्थी के विद्वान वकील यह इंगित करने में तथ्यात्मक रूप से सही हैं कि आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का विवादित निर्णय है

एम. डी. फ्रोजन फूड्स में इस न्यायालय द्वारा विशेष रूप से नोट किया गया और खारिज कर दिया गया। इसलिए, पहली बार में उक्त निर्णय पर चर्चा करना उपयुक्त होगा। 16. एम. डी. फ्रोजन फूड्स में अपीलकर्ताओं ने एक न्यायसंगत बंधक बनाकर अचल संपत्तियों की सुरक्षा के खिलाफ उत्तरदाताओं से अपने व्यवसाय के लिए धन उधार लिया था। ऋण समझौते में एक मध्यस्थता खंड शामिल था। चूँकि अपीलार्थी भुगतान करने में चूक करता है

और खाता एन. पी. ए. बन गया, प्रतिवादी ने 16 नवंबर, 2016 को मध्यस्थता खंड का आह्वान किया। हालाँकि, इस आह्वान से तीन महीने पहले, 05 अगस्त, 2016 को एक अधिसूचना जारी की गई थी, जिसमें कुछ गैर-वित्तीय बैंकिंग कंपनियों (एन. एफ. बी. सी.) को निर्दिष्ट किया गया था, जो आर. बी. आई. अधिनियम की धारा 45-1 के खंड (एफ) के तहत आती हैं, जिनकी परिसंपत्तियाँ 5 करोड़ रुपये से अधिक हैं। 500 वित्तीय संस्थानों के रूप में और यह निर्देश देते हुए कि सर्फेसी अधिनियम के प्रावधान ऐसे वित्तीय संस्थानों पर लागू होंगे

उस अधिनियम की धारा 13 से 19 के प्रावधानों के अपवाद। धारा 13 से

19 अधिसूचना के अनुसार, केवल ऐसे प्रतिभूति ब्याज पर लागू किया गया था जो 1 करोड़ रुपये और उससे अधिक की मूल राशि के साथ प्रतिभूत ऋण के पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए प्राप्त किया जाता है। प्रत्यर्थी को विशेष रूप से उक्त अधिसूचना द्वारा कवर किया गया था जो सरफेसी अधिनियम की धारा 31ए के साथ पठित धारा 2 की उप-धारा (1) के खंड (एम) के उप-खंड (iv) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया था। उपरोक्त अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए, प्रत्यर्थी ने 24 नवंबर, 2016 को उपरोक्त ऋण के खिलाफ उसे गिरवी रखी गई सात संपत्तियों में से एक के लिए सरफेसी अधिनियम की धारा 13 (2) के तहत एक नोटिस जारी किया, जिसे अपीलकर्ताओं को आगे बढ़ाया गया था।

17. एम. डी. फ्रोजन फूड्स में उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने निम्नलिखित तीन प्रश्न तैयार किए जो इसके लिए उत्पन्न हुए थे -

विचार:

" उ. क्या प्रत्यर्थी द्वारा शुरू की गई मध्यस्थता कार्यवाही को सरफेसी कार्यवाही के साथ-साथ चलाया जा सकता है। एक साथ?

ख. क्या सरफेसी अधिनियम के लागू होने से पहले बनाए गए ऋण समझौते/बंधक से उत्पन्न ऋणों के संबंध में सरफेसी अधिनियम की धारा 13 का सहारा लिया जा सकता है। उत्तरदाता के लिए?

[अबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

ग. सवाल के लिए एक जुड़ा हुआ प्रश्न (ii), क्या ऋणदाता सरफेसी अधिनियम के प्रावधान को लागू कर सकता है जहां इसकी अधिसूचना वित्तीय के रूप में है। उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) (ओ) के तहत खाता एन. पी. ए. बनने के बाद धारा 2 (1) (एम) के तहत संस्था जारी की गई है? ”

ये प्रश्न स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं कि तत्काल मामला लगभग एक ही आधार पर है।18. जहाँ तक प्रश्न 'क' का संबंध है, न्यायालय ने स्पष्ट रूप से कहा कि केवल इसलिए कि मध्यस्थता अधिनियम के तहत उपचार लागू किया गया था, प्रत्यर्थी को एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम का सहारा लेने से रोकने का कोई आधार नहीं है। उस निर्णय की चर्चा नीचे पुनः प्रस्तुत की गई है:

" 26. निर्दिष्ट कानून लागू होने से पहले किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा दावा आम तौर पर धन संबंधी अधिकार क्षेत्र वाले दीवानी न्यायालय में दायर किया जाता। आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना के परिणामस्वरूप यह विशेष कार्य हुआ न्यायाधिकरण बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा किए गए ऐसे दावों पर विचार कर रहा है

संस्थाएं। वास्तव में, नागरिक अधिकार क्षेत्र से मुकदमों को स्थानांतरित कर दिया गया था

ऋण वसूली न्यायाधिकरण को। इस प्रकार, न्यायाधिकरण एक था

27. सरफेसी अधिनियम को लागू करने की मांग पर प्रतिभूति ब्याज पर ऋण की वसूली, एक सवाल उठाया गया था

क्या आर. डी. डी. बी. अधिनियम के तहत समानांतर कार्यवाही चल सकती है

और सरफेसी अधिनियम। ट्रांसकोर v में इस तरह की एक साथ कार्यवाही के पक्ष में इस मुद्दे का स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया था। भारत संघ।

इस मुद्दे पर निम्नलिखित शब्दों में भी चर्चा की गई: " 45. धारा 37 के बारीकी से पढ़ने से पता चलता है कि

सरफेसी अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियम इसमें होंगे

आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त। की धारा 35

सरफेसी अधिनियम में कहा गया है कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधान

तत्काल प्रभाव में किसी अन्य कानून में कुछ भी असंगत होने के बावजूद इसका प्रबल प्रभाव होगा। इसलिए, धारा 35 और 37 को एक साथ पढ़कर, यह मानना होगा कि

आर. डी. डी. बी. अधिनियम के किसी भी प्रावधान के न होने की स्थिति

सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत,

दोनों अधिनियमों का अनुप्रयोग, अर्थात्, सरफेसी अधिनियम और आर. डी. डी. बी. अधिनियम एक दूसरे का पूरक होगा। इस संदर्भ में, [2018] 1 एस. सी. आर.

ट्रान्सकोर वी में निर्णय पर निर्भरता रखी जा सकती है। भारत संघ [(2008) 1 एससीसी 125: (2008) 1 एस. सी. सी. (सी. आई. वी.) 116] पैरा 64 में यह एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की धारा 37 का उल्लेख करने के बाद कहा गया है।

अधिनियमः (एस. सी. सी पी. 162)

" 64. ..... अमेरिकन ज्यूरिसप्रूडेंस के अनुसार, 2 डी, वॉल्यूम। 25 , पी। 652 , यदि वास्तव में केवल एक ही उपाय है, तो चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। वर्तमान मामले में, जैसा कि ऊपर बताया गया है, एन. पी. ए. अधिनियम डी. आर. टी. अधिनियम का एक अतिरिक्त उपाय है। एक साथ वे एक उपाय का गठन करते हैं और इसलिए, चुनाव का सिद्धांत लागू नहीं होता है। यहां तक कि स्नेल के समानता के सिद्धांतों के अनुसार (31 वां संस्करण, पी। 119), उपचार के चुनाव का सिद्धांत केवल तभी लागू होता है जब चुनाव के समय वादियों के लिए दो या दो से अधिक सह-अस्तित्व वाले उपचार उपलब्ध होते हैं जो अप्रिय और असंगत होते हैं। किसी भी स्थिति में, दोनों उपायों के बीच कोई प्रतिकूलता या विसंगति नहीं है, इसलिए, चुनाव के सिद्धांत का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

(जोर दिया गया)

46. धारा 37 के अध्ययन से पता चलता है कि सरफेसी अधिनियम का अनुप्रयोग आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के अतिरिक्त होगा न कि अपमान में। दूसरे शब्दों में, यह किसी भी तरह से आर. डी. डी. बी. अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव को रद्द या बाधित नहीं करेगा। हम अपने उपरोक्त कानून के कथन से भी मजबूत हैं क्योंकि उक्त धारा का शीर्षक भी इस स्थिति को स्पष्ट करता है कि अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं है। इसलिए, धारा 37 का प्रभाव यह होगा कि उक्त अधिनियम के तहत शुरू की गई कार्यवाही के संबंध में, एसएआरएफएईएसआई अधिनियम के तहत निहित प्रावधानों के अलावा, एक पक्ष के लिए यह आदेश होगा कि वह धारा 37 में उल्लिखित अन्य अधिनियमों के प्रावधानों, अर्थात् कंपनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के देय ऋण की वसूली अधिनियम, 1993, या उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों से पीछे हटे।

28. इस प्रकार, ये टिप्पणियां किसी भी तरह का संदेह नहीं छोड़ती हैं और विशेष रूप से सर्फेसी अधिनियम की धारा 35 और 37 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो नीचे दिए गए हैं:

" 35. इस अधिनियम के प्रावधान अन्य कानूनों को ओवरराइड करते हैं। -

इस अधिनियम के प्रावधानों का प्रभाव होगा, इसके बावजूद कि आवास वित्त सीमा का उल्लंघन किया गया है।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में निहित कोई असंगत बात या ऐसी किसी विधि के आधार पर प्रभावी कोई लिखत।

" 37. अन्य कानूनों का प्रयोग वर्जित नहीं है। - प्रावधान

इस अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों के अतिरिक्त, और कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1), प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42) के अपमान में नहीं होगा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15), बैंकों और वित्तीय ऋणों की वसूली

संस्थान अधिनियम, 1993 (1993 का 51) या इसके लिए कोई अन्य कानून

समय बल में है "।

29. इस प्रकार, उपरोक्त दोनों अधिनियम एक-दूसरे के पूरक हैं और यह उपचार के चुनाव का मामला नहीं है।

XX

XX

XX

33. एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की कार्यवाही प्रवर्तन की प्रकृति में है।

कार्यवाही, जबकि मध्यस्थता एक न्यायिक प्रक्रिया है। यदि सुरक्षित परिसंपत्तियाँ ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त हैं, तो सुरक्षित लेनदार एक सक्षम मंच द्वारा लंबित बकाया राशि के निर्धारण के बाद, देनदार के खिलाफ निष्पादन में अन्य परिसंपत्तियों के खिलाफ आगे बढ़ सकता है।

34. इस प्रकार, हमारा स्पष्ट रूप से यह विचार है कि सार्थक बिल्डर्स में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के निर्णय

प्रा. लिमिटेड वी. उड़ीसा ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड,

एचडीएफसी बैंक लिमिटेड बनाम में दिल्ली उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ। सतपाल सिंह बख्शी (ऊपर) और डिवीजन बेंच

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रदीप कुमार गुप्ता बनाम. उत्तर प्रदेश राज्य ने दक्कन क्रॉनिकल्स में कानून के सही प्रस्ताव और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा व्यक्त किए गए विचार को निर्धारित किया है।

होल्डिंग्स लिमिटेड बनाम। निरस्त होने के बाद भारत संघ सुभाष चंद्र पांडा बनाम में उड़ीसा उच्च न्यायालय का निर्णय।

उड़ीसा राज्य कानून में सही स्थिति निर्धारित नहीं करता है। इस प्रकार, एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. की कार्यवाही और मध्यस्थता कार्यवाही कर सकते हैं

हाथ से हाथ मिलाएँ। ”

19. जहाँ तक 'बी' और 'सी' प्रश्नों का संबंध है, न्यायालय ने विभिन्न उच्च न्यायालयों और [2018] 1 एस. सी. आर. की परस्पर विरोधी राय का उल्लेख किया।

चर्चा में कहा गया कि एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम प्रकृति में पूर्वव्यापी था, इसलिए एक बार यह अधिनियम लागू होने के बाद, उक्त में प्रतिवादी को अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने का अधिकार था, भले ही ऋण समझौता हो।ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम लागू होने से पहले बनाया गया और बंधक बनाया गया। निर्णय के पैराग्राफ 36 से 38 को इस संबंध में लागू करने की आवश्यकता है, जो निम्नलिखित प्रभाव से हैं:

" 36. इसे हल करने के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया था

एन. पी. ए. में बड़े ऋण की वसूली की समस्या। इस प्रकार, बहुत उक्त अधिनियम को लागू करने का कारण यह था कि

एक त्वरित प्रक्रिया जहां एक सुरक्षा हित था। यह.

कि उसी का उत्तर नकारात्मक में है। 37. यह अधिनियम उन सभी दावों पर लागू होता है जो इस समय जीवित होंगे।

वह समय जब इसे लागू किया गया था। इस प्रकार, प्रतिवादी या अन्य एन. बी. एफ. सी. के लिए, यह उस तारीख से समान रूप से लागू होगा जब

यह उनके लिए लागू किया गया था।

38. सार्थक बिल्डर्स में उड़ीसा उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ

प्रा. लिमिटेड वी. उड़ीसा ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड

(उपर्युक्त) ने वास्तव में इस पहलू को संक्षिप्त रूप से निर्धारित किया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि जब तक प्रत्यर्थी सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (एम) (iv) के अर्थ के भीतर एक 'वित्तीय संस्थान' नहीं था, तब तक वह सरफेसी की धारा 2 (1) (जेडडी) के तहत परिभाषित 'सुरक्षित लेनदार' नहीं था। अधिनियम और, इस प्रकार, सर्फेसी के प्रावधानों को लागू नहीं कर सका

एक्ट करें। हालांकि, सरफेसी अधिनियम के तहत आगे बढ़ने का अधिकार

अधिसूचना जारी होने के बाद अर्जित किया गया। पूर्ण पीठ ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के एक खंड पीठ के फैसले का उल्लेख किया

यूनिक इंजीनियरिंग वर्क्स v. भारत संघ जिसने निपटा था

पूर्वव्यापीता और पूर्वव्यापीता का मुद्दा। पूर्व सक्रियता के मामले में, संसद मौजूदा शर्तों पर ध्यान देती है और घोषणा करती है

उन स्थितियों को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपाय। वास्तव में यह

सार्फेसी अधिनियम, हमारे विचार में, ऐसी स्थिति को सुधारने के लिए था और

सुरक्षित हितों के खिलाफ एक उपाय प्रदान करें। की योजना

सरफेसी अधिनियम, वास्तव में इसके खिलाफ एक प्रक्रियात्मक उपाय प्रदान करने के लिए है।

सुरक्षा हित पहले से ही बनाया गया है।

इसलिए, एक मौजूदा उधारकर्ता, इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

जिसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, वह उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत 'उधारकर्ता' के रूप में शामिल था। न केवल यह अभिव्यक्ति, 'ऋण प्रतिभूतियों', 'वित्तीय सहायता', 'वित्तीय परिसंपत्तियों' आदि से संबंधित परिभाषा खंड स्पष्ट रूप से व्यक्त करते हैं

विधायी इरादा कि एसएआरएफएईएसआई अधिनियम सभी मौजूदा समझौतों पर लागू होता है, इस तथ्य की परवाह किए बिना कि ऋणदाता एक था ऋणकर्ता के साथ समझौते के निष्पादन की तारीख को अधिसूचित 'वित्तीय संस्थान' या नहीं। की योजना

सरफेसी अधिनियम एक त्वरित, प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली निर्धारित करता है,

अदालत के हस्तक्षेप के बिना बकाया का भुगतान न करने पर बैंक को संपत्ति का कब्जा लेने में सक्षम बनाना। केवल यह तथ्य कि सरफेसी के तहत एक अधिक त्वरित उपचार प्रदान किया गया है अधिनियम का अर्थ यह नहीं है कि यह मौलिक है या इसने पूरी तरह से एक नया अधिकार बनाया है। अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि उन्हें देरी करने का अंतर्निहित अधिकार है

सुरक्षा हित के खिलाफ प्रवर्तन! "

20. न्यायालय ने किसी विशेष कार्य के पूर्वव्यापी और पूर्वव्यापी संचालन के बीच अंतर निर्धारित करने वाले कुछ निर्णयों का भी उल्लेख किया।

कानून 3.

21. तथ्य स्थिति, इस प्रकार, तत्काल मामले में लगभग समान थी। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां शुरू में ऋण स्वीकृत किया गया था।

आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा जो अपीलार्थी के साथ विलय हो गया है और अपीलार्थी उत्तराधिकारी ब्याज है जो एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के अंतर्गत आता है। उपरोक्त मामले में, हालांकि ऋण वितरित करने वाली संस्था बनी रही

तथापि, उस समय जब प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी को ऋण दिया गया था, यह इसके अंतर्गत आने वाली वित्तीय संस्था नहीं थी -

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम, जिसका दर्जा प्रत्यर्थी द्वारा 05 अगस्त, 2016 की अधिसूचना को ध्यान में रखते हुए प्राप्त किया गया था, ऋण दिए जाने के काफी बाद जारी किया गया था।

22. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील इस बात पर विवाद नहीं कर सके कि उपरोक्त निर्णय वर्तमान मामले को पूरी तरह से शामिल करता है। इस स्थिति को उनके द्वारा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए स्वीकार किया जाना था कि उच्च न्यायालय के फैसले को, जो इन कार्यवाहियों में विवादित है, इस

न्यायालय द्वारा एम. डी. फ्रोजन फूड्स मामले में विशेष रूप से खारिज कर दिया गया है। सामना करना पड़ा। 3 3 पश्चिम बनाम। ग्वेनी, 1911 2 सीएच 1 पीपी पर। 11 , 12 त्रयंबक दामोदर रायपुरकर बनाम। आसाराम हीरामन पाटिल, 1962 सप्लीमेंट (1) एस. सी. आर. 700 इन री एथलमनी। एक्स पार्टी विल्सन, (1898) 2 क्यू. बी. 547 [2018] 1 एस. सी. आर.

23. सटीक शब्दों में कहें तो डेंट के लिए विद्वान वकील की प्रस्तुतियाँ निम्नलिखित पहलुओं के इर्द-गिर्द घूमती थीं:अपीलार्थी ने न तो अग्रिम दिया था और न ही कोई ऋण दिया था या

प्रत्यर्थी को वित्तीय सहायता सं। 1 और, इसलिए, यह सर्फेसी अधिनियम के प्रावधानों को लागू नहीं कर सकता था।

उत्तरदाता नं. 1 उस अधिनियम की धारा 2 (1) (सी) और 2 (1) (एम) के साथ पठित सर्फेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (एफ) के तहत परिभाषित 'उधारकर्ता' के रूप में नहीं माना जा सकता है। प्रस्तुतिकरण यह था कि प्रतिवादी नं। 1 ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे किसी बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई है और न ही प्रत्यर्थी नहीं कर सकता है। 1 एक व्यक्ति होने की परिभाषा के दायरे में लाया जाएगा जिसने किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान, यानी अपीलार्थी द्वारा दी गई वित्तीय सहायता के लिए प्रतिभूति के रूप में गारंटी दी है या कोई बंधक या गिरवी रखी है। यह तर्क दिया गया था कि उधारकर्ता शब्द की परिभाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है और शाब्दिक व्याख्या के नियम को लागू किया जाना चाहिए। उत्तरदाताओं ने पी. के. उन्नी बनाम के उक्ति पर भरोसा किया। निर्मला

उद्योग और अन्य जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि न्यायालय को इस धारणा पर आगे बढ़ें कि विधायिका ने कोई गलती नहीं की है और जो उसने कहा है वह कहने का इरादा रखता है, आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि यह मानते हुए भी कि विधायिका द्वारा उपयोग किए गए शब्दों में कोई दोष या चूक थी, न्यायालय इस कमी को सुधारने या उसे पूरा करने के लिए अपने कथन पर नहीं जाएगा। न्यायालय किसी कानून में ऐसे शब्द नहीं जोड़ सकता है या उसमें ऐसे शब्द नहीं पढ़ सकता है जो वहां नहीं हैं, विशेष रूप से जब शाब्दिक पठन एक बोधगम्य परिणाम उत्पन्न करता है। अदालतें किसी शब्द को बदलने के लिए अधिकृत नहीं हैं ताकि "केसस ओमिसस" पेश किया जा सके। के मामले में निर्णय से समर्थन

भारत संघ बनाम। एल्फिन पत्थर कताई और बुनाई

कंपनी लिमिटेड और अन्य को भी इस ओर से लिया गया था।

विद्वान वकील ने एक अन्य मामले का भी उल्लेख किया, अर्थात। , दिल्ली वित्तीय निगम और एक अन्य v. राजीव आनंद और अन्य जिनमें इस उपरोक्त सिद्धांत को दोहराया गया है।

02 एस. सी. सी. 378

4 एस. सी. सी 139

11 एस. सी. सी. 625 यू. एल. एल. एस. आवास वित्त सीमा v. एम/एस। डेकेन रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

08 दिसंबर, 2011 और 05 जनवरी, 2012 के ऋण समझौते जो प्रत्यर्थी संख्या 1 के बीच किए गए थे।

और आईबीएफएसएल को 'सुरक्षा व्यवस्था' के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है।

सर्फेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (जेड. बी.) के अर्थ के भीतर।

इन समझौतों ने एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की धारा 2 (1) (जेड. बी.) के तहत 'सुरक्षा हित' पैदा नहीं किया। यह तर्क दिया गया था कि अधिनियम की धारा 2 (1) (जेड. सी.) के तहत परिभाषित प्रतिभूति परिसंपत्तियों का अर्थ है वह संपत्ति जिस पर प्रतिभूति ब्याज बनाया जाता है। 'सुरक्षा हित' शब्दों को परिभाषित किया गया है।

धारा 2 (1) (जेड. एफ.) के तहत किसी भी प्रकार के अधिकार, स्वामित्व, ब्याज का अर्थ है

किसी प्रतिभू के पक्ष में बनाई गई संपत्ति पर जो कुछ भी हो

लेनदार (जैसा कि धारा 2 (1) (जेड. बी.) के तहत परिभाषित किया गया है और इसमें एक

इसके अलावा बंधक, शुल्क, परिकल्पना या असाइनमेंट

धारा 31 में विनिर्दिष्ट)। इसी तरह सुरक्षा समझौता है धारा 2 (1) (जेडबी) के तहत परिभाषित।

निवेदन यह था कि 08 दिसंबर, 2011 और 05 जनवरी, 2012 के समझौते उस समय से धारा 2 (ए) (जेडबी) के दायरे में नहीं आते हैं जब उक्त समझौता किया गया था:

में प्रवेश किया गया था, जिसके पक्ष में वे थे

निष्पादित, अर्थात, इंडियाबुल्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, नहीं था धारा 2 (1) (जेड. डी.) के अर्थ के भीतर एक सुरक्षित लेनदार

सरफेसी अधिनियम। इन परिस्थितियों में

धारा 13 (1) और 13 (2) के आवश्यक तत्व अनुपस्थित होने के कारण, धारा 13 (2) के तहत कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती थी या

अधिनियम की धारा 13 (4)। उत्तरदाताओं का यह कहना है कि समामेलन की योजना में निहित खंड, सबसे पहले

समामेलित कंपनी के पक्ष में कोई नया अधिकार बनाने का कोई इरादा प्रकट न करें। दूसरा, समामेलन की योजना के खंडों को, भले ही न्यायालय द्वारा स्वीकृत किया गया हो, वैधानिक प्रावधानों के आधार पर

नहीं उठाया जा सकता है, जो बाद में उन अधिकारों के अधिग्रहणकर्ता के पक्ष में अधिकार पैदा करते हैं जो वैधानिक रूप से प्रदान नहीं किए गए हैं, और न ही

क्या इस तरह के खंडों को एक काल्पनिक कल्पना बनाने के लिए माना जा सकता है

वैधानिक रूप से प्रदान किया गया।

किसी इकाई का विलय जो इसके दायरे में नहीं है

सर्फेसी अधिनियम तब इकाई जो इसके दायरे में आती है कहा गया अधिनियम समामेलित इकाई को लागू करने का अधिकार नहीं देगा

लेनदेन के संबंध में एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधान/[2018] 1 एस. सी. आर.

समझौता समामेलन से बहुत पहले हुआ था। प्रस्तुतिकरण यह था कि के आधार पर बनाया गया अभेद्य कंपनी अधिनियम की धारा 391 से 394 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा किसी योजना को मंजूरी देना उन अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों को पैदा करने के लिए नहीं माना जा सकता है जिनकी वैधानिक रूप से परिकल्पना नहीं की गई थी।

यह तर्क दिया गया था कि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को विशुद्ध रूप से प्रक्रियात्मक नहीं माना जा सकता है, वे अदालत के आह्वान के बिना प्रतिभूति ब्याज को लागू करने के माध्यम से अपने बकाया की वसूली के लिए सुरक्षित लेनदार के पक्ष में पर्याप्त अधिकार पैदा करते हैं। धारा 13 (1) मौलिक अधिकारों का सृजन करती है और बिना किसी कल्पना के, और इसे प्रक्रियात्मक प्रकृति के प्रावधान के लिए नहीं कहा जा सकता है। इसे लागू करने की प्रक्रिया

नोटिस में विवरण निर्धारित करने की आगे की प्रक्रिया धारा 13 (3) के आधार पर दी जानी है और धारा 13 (3) (ए) के तहत प्रतिनिधित्व करने का प्रावधान है और आगे सुरक्षित ऋण को जारी करने और वसूली के लिए एक प्रक्रिया का प्रावधान है। धारा 13 (4) के तहत। धारा 13 (1) द्वारा सृजित किए जा रहे सारवान अधिकार के अभाव में, उप-धारा (2) से (4) में निहित प्रक्रियात्मक प्रावधान अर्थहीन हैं क्योंकि यह सृजित सारवान अधिकार के प्रवर्तन के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं करेगा।

धारा 13 (4) के तहत। इसलिए यह सही नहीं होगा कि

सरफेसी अधिनियम को केवल एक प्रक्रियात्मक क़ानून के रूप में माना जाता है।

24. यह प्रस्तुत किया गया था कि यह एक उलट विलय था क्योंकि आई. बी. एफ. एस. एल. एक होल्डिंग कंपनी थी और अपीलकर्ता कंपनी केवल एक सहायक कंपनी और होल्डिंग कंपनी को विलय करने और सहायक कंपनी के साथ विलय करने की मांग की गई थी।

25. यह भी प्रस्तुत किया गया कि विलय की पूरी कवायद थी

एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाने के लिए वित्तीय कंपनी से वित्तीय कंपनी को ऋण हस्तांतरित करने का कार्य,

जो प्रत्यर्थियों के अनुसार कानून में अनुज्ञेय नहीं है। उपरोक्त आधार पर, प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वकील का पहला निवेदन यह था कि अपीलार्थी को कोई ऋण हस्तांतरित और निहित नहीं किया गया था।

योजना के अनुसार कंपनी के प्रावधान। यह तर्क दिया गया था कि योजना पैराग्राफ 4 के तहत यह परिकल्पना की गई है कि निर्धारित तिथि यानी 1 अप्रैल, 2012 से समामेलित करने वाली कंपनी जिसमें -

समामेलनक उपक्रम योजना 'इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड' क मंजूरीक अनुसार होयत।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

किसी भी आगे के अधिनियम, लिखत, विलेख, पदार्थ या चीज के बिना, ताकि निर्धारित तिथि 1 अप्रैल, 2012 से, योजना में प्रदान किए गए तरीके के आधार पर और समामेलित कंपनी के उपक्रम बन सकें। 26. उपरोक्त प्रस्तुति को समर्थन देने के लिए योजना के विभिन्न अन्य खंडों का उल्लेख किया गया था। इस आधार पर यह तर्क दिया गया कि चूंकि योजना के खंड 8 के अनुसार, कानूनी और कराधान कार्यवाही आदि सहित सभी मुकदमों, कार्रवाइयों और अन्य कार्यवाही को जारी रखा जाना चाहिए या

समामेलन कंपनी द्वारा या उसके विरुद्ध लागू किया गया। प्रतिवादियों के खिलाफ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 9 के तहत आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा शुरू की गई कार्यवाही को अपीलार्थी का कार्य माना जाएगा। दूसरे शब्दों में, समामेलन करने वाली कंपनी के पास आई. बी. एफ. एस. एल. से बेहतर और आगे कोई अधिकार नहीं हो सकता है।

27. उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने प्रयास किया कि

कुछ कानूनी की मदद से उपरोक्त वास्तुकला को मजबूत करें। पूर्ववर्ती। पहले उदाहरण में, ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम के मामले में निर्णय का संदर्भ दिया गया था। पी. एन. बी सेवा

सीमित जिसमें इस न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया:

परिणामस्वरूप कंपनी के मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दें। ऐसी शिकायत न्यायोचित हो सकती है और प्रस्तुत करने में सार हो सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 15 और 16 की भाषा को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से 1994 के अधिनियम संख्या 12 द्वारा जोड़ी गई धारा 16 के स्पष्टीकरण को देखते हुए, इस न्यायालय के पास वास्तविक मूल्य उपकरणों (सुप्रा) में लिए गए अपने पहले के निर्णय का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जबकि व्याख्या करते हुए, यह न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो उचित प्रक्रिया का सहारा लेकर इसे संशोधित करना या निरस्त करना विधानमंडल का काम है।

आवश्यक है।

6 (2000) 5 एस. सी. सी. 515 [2018] 1 एस. सी. आर.

यह तर्क दिया गया कि इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों में स्पष्ट रूप से अपीलार्थी का यह कहना है कि क्योंकि सरफेसी अधिनियम सार्वजनिक हित में संचित एन. पी. ए. को दूर करने के लिए अधिनियमित किया गया है,

आर. एम. 'उधारकर्ता' को व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए।

28. रिलायंस को पद्म सुंदर राव बनाम के मामले में संविधान पीठ के फैसले में भी रखा गया था। तमिलनाडु राज्य 3 जहाँ

न्यायालय ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है:

" 12. कानून के पुनर्लेखन और केसस ओमिसस के संबंध में प्रतिद्वंद्वी दलीलों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। यह कानून में अच्छी तरह से स्थापित सिद्धांत है कि अदालत किसी भी वैधानिक प्रावधान में कुछ भी नहीं पढ़ सकती है जो स्पष्ट और स्पष्ट है। कानून विधायिका का एक आदेश होता है। कानून में प्रयुक्त भाषा विधायी इरादे का निर्धारक कारक है। निर्माण का पहला और प्राथमिक नियम यह है कि कानून का इरादा विधायिका द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों में पाया जाना चाहिए। सवाल यह नहीं है कि क्या माना जा सकता है और क्या इरादा किया गया है, बल्कि यह है कि क्या कहा गया है। न्यायाधीश लर्नड हैंड ने कहा कि क़ानूनों को यूक्लिड के प्रमेय के रूप में नहीं, बल्कि शब्दों को उनके पीछे के उद्देश्यों की कुछ कल्पना के साथ समझा जाना चाहिए। (लेनिघ वैली कोल कं. वी. देखें। येनसावेज [218 एफआर 547]।) इस विचार को भारत संघ बनाम में दोहराया गया था। वेदेम वास्को डी गामा के फिलिप टियागो डी गामा

[(1990) 1 एससीसी 277: AIR 1990 SC 981]।

13. डी. आर. वेंकटचलम बनाम डी. ट्रांसपोर्ट कमर्. [(1977) 2

एससीसी 273: ए. आई. आर. 1977 एस. सी. 842] यह देखा गया कि न्यायालयों को वैचारिक संरचना या योजना की अपनी पूर्वकल्पित धारणाओं के आधार पर किसी प्रावधान के अर्थ के प्राथमिकता से निर्धारण के खतरे से बचना चाहिए, जिसमें व्याख्या किए जाने वाले प्रावधान कुछ हद तक उपयुक्त हैं। वे विधायी कार्य को हड़पने के हकदार नहीं हैं।

व्याख्या के भेष में।

14. किसी प्रावधान की व्याख्या करते समय न्यायालय केवल कानून की व्याख्या करता है और इसे कानून नहीं बना सकता है। यदि कानून के किसी प्रावधान का दुरुपयोग किया जाता है और कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जाता है, तो यदि आवश्यक समझा जाए तो इसे संशोधित करना, संशोधित करना या निरस्त करना विधायिका का काम है। (ऋषभ एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम देखें। पी. एन.

बी. कैपिटल सर्विसेज लिमिटेड [(2000) 5 एस. सी. सी. 515]) विधायी मामले को न्यायिक व्याख्यात्मक प्रक्रिया द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। धारा 6 (1) की भाषा सरल है।

2) 3 एस. सी. सी. 533 [ए. बी. यू. एल. एस. हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

और असंदिग्ध। इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जैसा कि नरसिंहैया मामले [(1996) 3 एस. सी. सी. 88] में किया गया था। में।

नंजुदैया मामला [(1996) 10 एस. सी. सी. 619] आगे की अवधि थी

उच्च न्यायालय के आदेश की सेवा की तारीख से समय अवधि को चलाने के लिए बढ़ाया गया। इस तरह के दृष्टिकोण का मिलान नहीं किया जा सकता है

धारा 6 (1) की भाषा। यदि विचार स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका अर्थ यह होगा कि कोई मामला न केवल धारा 6 (1) के परंतुक के खंड (i) और/या खंड (ii) द्वारा, बल्कि गैर-निर्धारित द्वारा भी कवर किया जा सकता है।

अवधि। यही कभी भी विधायी इरादा नहीं हो सकता है। 15. निर्माण के दो सिद्धांत-एक केसस ओमिसस से संबंधित और दूसरा समग्र रूप से क़ानून को पढ़ने के संबंध में-अच्छी तरह से स्थापित प्रतीत होते हैं। पहले सिद्धांत के तहत अदालत द्वारा स्पष्ट आवश्यकता के मामले को छोड़कर और जब इसका कारण क़ानून के चारों कोनों में ही पाया जाता है, तो एक मामला चूक की आपूर्ति नहीं की जा सकती है, लेकिन साथ ही एक मामला चूक का आसानी से अनुमान नहीं लगाया जाना चाहिए और उस उद्देश्य के लिए एक क़ानून या धारा के सभी हिस्सों का एक साथ अर्थ लगाया जाना चाहिए और एक धारा के प्रत्येक खंड को स्पष्ट आवश्यकता के मामले में प्रदान किया जाना चाहिए।

संदर्भ और उसके अन्य खंडों के संदर्भ में अर्थ लगाया गया

ताकि किसी विशेष प्रावधान पर किया जाने वाला निर्माण पूरे क़ानून का सुसंगत अधिनियमन करे। यह अधिक होगा।

इसलिए यदि किसी विशेष खंड का शाब्दिक निर्माण स्पष्ट रूप से

बेतुके या विसंगत परिणाम जिनका इरादा नहीं किया जा सकता था

विधायिका द्वारा। “ एक अनुचित परिणाम उत्पन्न करने का इरादा ", डैनकवर्ट्स, एल. जे. ने आर्टेमिउ बनाम में कहा। प्रोकोपियो [(1966) 1 क्यू. बी. 878 : (1965) 3 सभी ईआर 539: (1965) 3 डब्ल्यूएलआर 1011 (सीए)] (सभी ईआर पी पर। 544 - I), "यदि कोई अन्य निर्माण उपलब्ध है तो इसे किसी क़ानून के लिए आरोपित नहीं किया जाना चाहिए।" शाब्दिक रूप से शब्दों को कहाँ लागू किया जाए

" कानून के स्पष्ट इरादे को विफल करें और पूरी तरह से उत्पन्न करें

अनुचित परिणाम ", हमें" शब्दों के लिए कुछ हिंसा करनी चाहिए "

और इसलिए उस स्पष्ट इरादे को प्राप्त करें और एक तर्कसंगत परिणाम उत्पन्न करें

निर्माण। [ल्यूक बनाम में लॉर्ड रीड के अनुसार। आई. आर. सी. [1963 एसी 557: (1963) 1 सभी ईआर 655: (1963) 2 WLR 559 (HL)] जहाँ AC p पर है। 577 उन्होंने यह भी कहाः (सभी ई. आर. पी. 664 - I) "हालांकि यह कोई नई समस्या नहीं है।

मसौदा तैयार करने का हमारा मानक ऐसा है कि यह शायद ही कभी उभरता है।] "

29. यह तर्क दिया गया कि उपरोक्त सिद्धांतों के आलोक में

संविधान पीठ के निर्णय में निहित, क्योंकि की भाषा

2 (1) (एफ) और 2 (ए) (जेडएफ) पर असंदिग्ध है, केसस ओमिसस नहीं कर सकता है

न्यायिक व्याख्या प्रक्रिया द्वारा संचालित। यह प्रस्तुत किया गया था कि

इसमें कुछ पढ़ने की गुंजाइश नहीं है, जो मौजूद नहीं है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

30. उत्तरदाताओं के वकील ने भी इस पर पूरी तरह से भरोसा जताया

आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड बनाम में निर्णय। ए. पी. एस. स्टार इंडस्ट्रीज और अन्य का आधिकारिक परिसमापक, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 और बैंक द्वारा गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों के अंतर-हस्तांतरण के विषय पर जारी भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों पर केंद्रित है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 इस तरह के हस्तांतरण के रास्ते में नहीं आता है। बैंक/बैंकिंग कंपनियाँ किसी भी मामले में सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।

घटना। इस प्रकार, अंतर-बैंक हस्तांतरण से ऋणदाता की प्रकृति में परिवर्तन का सवाल नहीं उठेगा, जिससे सरफेसी अधिनियम की प्रयोज्यता की स्थिति में परिवर्तन होगा। उस आधार पर, यह प्रस्तुत किया गया था कि इस तरह के हस्तांतरण से उधारकर्ता की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा, जो अगर पहले प्रतिभूति ब्याज बनाता है, तो किसी अन्य सुरक्षित लेनदार का उधारकर्ता बना रहता है। हालांकि, वर्तमान मामले में, उधारकर्ता की स्थिति में पूर्ण परिवर्तन करने की मांग की गई है और वह भी उसकी सहमति के बिना।

31. विद्वान वकील ने अंत में दूरगामी परिणामों के बारे में एक भावुक याचिका दायर की, जो अपीलार्थी के निर्णय लेने के बाद हो सकते हैं। सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का सहारा लेने की अनुमति दी गई क्योंकि इसका लाभ उठाने के लिए सरफेसी कंपनियों को ऋण हस्तांतरित किए जाएंगे।

32. उपरोक्त निवेदन पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि पूरी इमारत उन दलीलों पर बनी है जिनका एम. डी. फ्रोजन फूड्स में स्पष्ट रूप से जवाब दिया गया है और इससे अलग दृष्टिकोण रखने का कोई कारण नहीं है उन कारणों से जो इसके बाद आते हैं।

33. तत्काल मामले में, ऋण आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा दिया गया था जो कि सरफेसी अधिनियम के अंतर्गत आने वाला वित्तीय संस्थान नहीं था जब ऋण दिया गया था।

दिया गया। हालाँकि, इस इकाई का अपीलार्थी के साथ विलय हो गया है और अपीलार्थी एक सर्फेसी कंपनी है। इस पृष्ठभूमि में, प्रत्यर्थी के तर्क का पूरा जोर यह है कि एक उत्तराधिकारी कंपनी के रूप में, अपीलार्थी लाभ नहीं उठा सकता है। इस पहलू से निपटने के लिए हमें पहले इस तरह के विलय के प्रभाव को ध्यान में रखना होगा

उच्च न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना। यह ध्यान में रखा जाना चाहिए कि ऋण/ऋण/वित्तीय परिसंपत्तियाँ अपीलार्थी में निहित थीं - कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 391 और 394 के तहत दोनों कंपनियों द्वारा दायर समामेलन योजना, जिसमें पूर्ववर्ती कंपनी, आई. बी. एफ. एस. एल. का अपीलार्थी के साथ समामेलन हो गया था, इस तरह के विलय के प्रभाव को इस न्यायालय द्वारा सरस्वती औद्योगिक सिंडिकेट लिमिटेड में समझाया गया है। आयकर आयुक्त निम्नलिखित तरीके से:

101990 (सप) एस. सी. सी. 675 इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

दो या दो से अधिक कंपनियों को विलय या दूसरे द्वारा अधिग्रहण करके एक में मिलाया जाता है। पुनर्निर्माण या 'समामेलन' का कोई सटीक कानूनी अर्थ नहीं है। समामेलन दो या दो से अधिक मौजूदा उपक्रमों का एक उपक्रम में सम्मिश्रण है, प्रत्येक सम्मिश्रण कंपनी के शेयरधारक काफी हद तक कंपनी में शेयरधारक बन जाते हैं जो मिश्रित उपक्रमों को जारी रखते हैं। किसी नई कंपनी को दो या दो से अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण या किसी मौजूदा कंपनी को एक या एक से अधिक उपक्रमों के हस्तांतरण द्वारा समामेलन किया जा सकता है। वास्तव में 'समामेलन' में किसी कंपनी द्वारा केवल अधिग्रहण शामिल नहीं है। अन्य कंपनी
की शेयर पूंजी की, जो अस्तित्व में बनी हुई है और अपना उपक्रम जारी रखती है, लेकिन जिस संदर्भ में इस शब्द का उपयोग किया गया है, वह यह दिखा सकती है कि उसका ऐसा अधिग्रहण शामिल करने का इरादा है। देखिए: हैल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड (चौथा संस्करण खंड 7 पैरा 1539)। दो कंपनियाँ एक नई कंपनी बनाने के लिए शामिल हो सकती हैं, लेकिन एक-दूसरे का अवशोषण या सम्मिश्रण हो सकता है, दोनों ही समामेलन के बराबर हैं। जब दो कंपनियों का विलय हो जाता है और इस तरह से जुड़ जाते हैं, तो तीसरी कंपनी बन जाती है या एक को एक में अवशोषित कर लिया जाता है या दूसरे के साथ मिलाया जाता है, तो समामेलित कंपनी अपनी इकाई खो देती है।

34. इस प्रकार, समामेलन की योजना की मंजूरी पर, आई. बी. एफ. एस. एल. के पक्ष में सभी ऋण, वसूली, प्रतिभूति, ब्याज, वित्तीय दस्तावेज आदि अपीलार्थी को हस्तांतरित कर दिए गए और इसमें आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को दिए गए ऋण, आई. बी. एफ. एस. एल. द्वारा प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं से आई. बी. एफ. एस. एल. के पक्ष में वसूली योग्य ऋण, आई. बी. एफ. एस. एल. के पक्ष में प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं द्वारा निष्पादित सुरक्षा दस्तावेज आदि शामिल हैं। योजना की मंजूरी पर, प्रत्यर्थी उधारकर्ता अपीलार्थी के उधारकर्ता बन गए जैसे कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी उधारकर्ताओं को वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी।

35. अपीलार्थी के तर्क में एक बल है कि अंतर्निहित प्रतिभूतियों के साथ ऋण आई. बी. एफ. एस. एल. की संपत्ति है और आई. बी. एफ. एस. एल. को उधारकर्ता की सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति हस्तांतरित/सौंपने का अधिकार था। इस तरह के हस्तांतरण/असाइनमेंट को मान्यता दी गई है और यह कि इस न्यायालय ने एपीएस स्टार इंडस्ट्रीज के आधिकारिक परिसमापक के मामले में

इस तरह के कार्य को मान्यता दी और बरकरार रखा।

18] 1 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

36. उपरोक्त पृष्ठभूमि में, वह कारक जो मान लेता है

खाद्य पदार्थ और यह मामला। इसलिए, एम. डी. फ्रोजन फूड्स का मामला इस मामले के तथ्यों पर हर तरह से लागू होगा। 37. इसके अलावा, यह तर्क देना बहुत दूर की बात है कि केवल उत्तरदाताओं से बकाया राशि प्राप्त करने के लिए, आई. बी. एफ. एस. एल. और अपीलार्थी ने विलय की योजना तैयार की ताकि सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित किया जा सके और हम इस तरह के निवेदन को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हैं। विभिन्न निर्णय जिन पर प्रत्यर्थियों द्वारा भरोसा किया जाता है, वे भी लागू नहीं होंगे क्योंकि हम न तो इसे किसी भी कानून का निर्माण करने या किसी मामले की आपूर्ति करने वाले न्यायालय का मामला पाते हैं।

ओमीसस।

38. तथ्यात्मक समानता के अलावा, कानूनी रूप से भी उत्तरदाताओं की दलीलों का कोई महत्व नहीं है। एम. डी. फ्रोजन फूड्स में लिया गया दृष्टिकोण यह है कि सर्फेसी अधिनियम प्रकृति में पूर्वगामी है। इस प्रक्रिया में, अदालत ने सार्थक बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड में उड़ीसा उच्च न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले को मंजूरी दे दी। लिमिटेड, चिंता, अरुणोदय मार्केट, कटक और एक अन्य बनाम। उड़ीसा ग्रामीण विकास निगम लिमिटेड, स्टेशन स्क्वायर, भुवनेश्वर और 5 Ors.[11] 11 ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

" 38 ..... पूर्व सक्रियता के मामले में, संसद मौजूदा शर्तों पर ध्यान देती है और उन शर्तों को सुधारने के लिए उपचारात्मक उपायों की घोषणा करती है। वास्तव में सरफेसी अधिनियम, हमारे विचार में, ऐसी स्थिति को सुधारने और सुरक्षित हितों के खिलाफ एक उपाय प्रदान करने के लिए था। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की योजना वास्तव में पहले से बनाए गए सुरक्षा हितों के खिलाफ एक प्रक्रियात्मक उपाय प्रदान करने के लिए है। इसलिए, एक मौजूदा उधारकर्ता, जिसे वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी, को उक्त अधिनियम की धारा 2 (च) के तहत 'उधारकर्ता' के रूप में शामिल किया गया था। केवल यह अभिव्यक्ति ही नहीं, 'ऋण प्रतिभूतियों', 'वित्तीय सहायता', 'वित्तीय परिसंपत्तियों' आदि से संबंधित परिभाषा खंड स्पष्ट रूप से विधायी इरादे को व्यक्त करते हैं कि -

सरफेसी अधिनियम सभी मौजूदा समझौतों पर लागू होता है, चाहे

तथ्य यह है कि क्या ऋणदाता उधारकर्ता के साथ समझौते के निष्पादन की तारीख को एक अधिसूचित 'वित्तीय संस्थान' था या नहीं

1 1 (2014) एस. सी. सी. ऑनलाइन ओ. आर. आई. 75 अबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

नहीं। एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम की योजना एक त्वरित, प्रक्रियात्मक कार्यप्रणाली निर्धारित करती है, जिससे बैंक बिना किसी हस्तक्षेप के बकाया राशि का भुगतान न करने पर संपत्ति पर कब्जा कर सकता है। अदालत। केवल यह तथ्य कि सरफेसी अधिनियम के तहत एक अधिक त्वरित उपचार प्रदान किया गया है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह चरित्र में ठोस है या इसने पूरी तरह से एक नया अधिकार बनाया है। अपीलार्थियों के तर्क को स्वीकार करने का अर्थ यह होगा कि उनके पास एक अंतर्निहित तर्क है।

39. मूल कानून में पूर्वव्यापी नहीं होने पर अपीलार्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील द्वारा निर्दिष्ट निर्णयों का विवरण जब तक कि अधिनियम में स्पष्ट रूप से ऐसा नहीं कहा गया है, इस प्रकार, हमने जो ऊपर देखा है, उसे ध्यान में रखते हुए, मुद्दे के मामले में कोई आवेदन नहीं होगा। दूसरी ओर, जैसा कि बकले ने देखा है,

एल. जे. वेस्ट बनाम ग्वेने, पूर्वव्यापी संचालन एक मामला है और मौजूदा अधिकारों में हस्तक्षेप दूसरा है। उस संदर्भ में, यह निर्णय दिया गया था कि कानून और संपत्ति के हस्तांतरण के प्रावधान

अधिनियम, 1892 उन पट्टों पर लागू होता था जिनमें अधिनियम के प्रारंभ से पहले या बाद में निष्पादित किए गए सभी पट्टों को लाइसेंस या सहमति के बिना पट्टे पर दी गई भूमि या संपत्ति को सौंपने, कम पट्टे पर देने या अलग करने या निपटाने के खिलाफ एक वाचा, शर्त या समझौता होता है। इस तरह का निर्माण अधिनियम को पूर्वव्यापी बनाने के लिए नहीं किया गया था, बल्कि केवल सभी पट्टों के तहत भविष्य के मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता था, चाहे वे पहले निष्पादित किए गए हों।

40. इसी तरह, इन रे एथलमनी के मामले में किए गए अवलोकन हैं। एक्स पार्टे विल्सन, जहाँ क्वींस डिवीजन बेंच के समक्ष पूछा गया सवाल यह था कि क्या धारा 23 दिवालियापन अधिनियम, 1890 अपने संचालन में पूर्वव्यापी था। उपरोक्त संदर्भ में, राइट, जे. ने बेंच के लिए बोलते हुए, स्पष्ट रूप से राय दी:

" शायद निर्माण का कोई भी नियम इससे अधिक दृढ़ता से स्थापित नहीं है-कि किसी क़ानून को पूर्वव्यापी कार्रवाई नहीं दी जानी चाहिए ताकि प्रक्रिया के मामले के अलावा किसी मौजूदा अधिकार या दायित्व को बाधित किया जा सके, जब तक कि उस प्रभाव को भाषा के साथ हिंसा किए बिना टाला नहीं जा सकता है। अधिनियमन। यदि अधिनियम को ऐसी भाषा में व्यक्त किया जाता है जो किसी भी व्याख्या में काफी सक्षम है, तो इसका अर्थ [2018] 1 एस. सी. आर. लगाया जाना चाहिए।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

केवल संभावित के रूप में। यह एक सामान्य नियम है कि जब

विधायिका दलों के अधिकारों को छीनकर या बदल देती है।

कार्रवाई का कोई अधिकार, उसके अधिनियमों को प्रदान करना, जब तक कि स्पष्ट रूप से न हो।

वे शर्तें जो लंबित कार्यों पर लागू होती हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करती हैं। यह है।

कहा कि उस नियम का एक अपवाद है, अर्थात्, जहाँ अधिनियम केवल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और नहीं करते हैं

कार्रवाई के अधिकारों का विस्तार, उन्हें लागू करने के लिए आयोजित किया गया है विद्यमान अधिकार, और यहाँ यह सुझाव दिया गया है कि परिवर्तन

इस धारा द्वारा बनाया गया उस अपवाद के भीतर है।

(जोर दिया गया)

41. इसी तरह, वह तारीख जिस पर ऋण को एन. पी. ए. घोषित किया जाता है।

फिर से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हमारा विचार है कि

सरफेसी अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे।

देय ऋण और जीवित रहते हैं जब अधिनियम लागू होता है

विद्वान वरिष्ठ द्वारा प्रतिवाद किए गए मापदंडों के संदर्भ में प्रतिवादी

प्रत्यर्थी के लिए परामर्श और क्रम संख्या में सूचीबद्ध। आई से IV तक

पैरा 18 "।

इस प्रकार, यह इस प्रकार है कि इस संबंध में केवल एक प्रक्रियात्मक परिवर्तन है

ऋण की वसूली के लिए मंच और कोई मूल अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं।

39. उपरोक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए, उत्तरदाताओं का तर्क

सम्पत्ति हस्तान्तरण अधिनियमक धारा 69 आ 69ए पर एतऽ भविष्यवाणी कयल गेल अछि जे उच्च न्यायालयक ध्यानमे राखल गेल अछि आ एहिमे कोनो सार नहि अछि।

40. उपरोक्त दृष्टिकोण को निर्णय से भी समर्थन मिलता है

मार्डिया केमिकल्स लिमिटेड और अन्य में यह न्यायालय। वी. भारत संघ और Ors.[1]2 जिसमें सरफेसी अधिनियम की पृष्ठभूमि और मुख्य विशेषता पर व्यापक रूप से चर्चा और विश्लेषण किया गया है और न्यायालय ने इस तरह के कानून को लागू करने के पीछे के उद्देश्य पर भी प्रकाश डाला है।

41. इन भावनाओं को बाद के फैसले में प्रतिध्वनित किया गया है

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मामला बनाम। सत्यवती टंडन और अन्य 1 3 जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि इस अधिनियम का उद्देश्य वसूली की त्वरित प्रक्रिया प्रदान करके देश में औद्योगिक विकास को गति देना है। बुनियादी ढांचे और श्रमशक्ति की कमी के कारण, नियमित अदालतें थीं वसूली मामलों के निर्णय में गति का सामना करने में सक्षम नहीं होना। तिवारी समिति की सिफारिशों के आलोक में, देय ऋणों की वसूली के प्रावधानों के तहत विशेष न्यायाधिकरणों का गठन किया गया।

12 (2004) 4 एस. सी. सी. 311

13 1 3 (2010) 8 एस. सी. सी. 110 इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनैंस लिमिटेड v. एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

भारी राशि की वसूली के लिए बैंक और वित्तीय संस्थान अधिनियम, 1993

बैंक ऋणों के संचित एन. पी. ए.। नरसिम्हम समिति और अंधारुजिना समिति की सिफारिशों पर, बैंकों और वित्तीय संस्थानों को प्रतिभूतियों का कब्जा लेने और उनके हस्तक्षेप के बिना उन्हें बेचने के लिए सशक्त बनाने के लिए सरफेसी अधिनियम लागू किया गया था। अदालत। इस संबंध में, सत्यवती टंडन के मामले में इस न्यायालय की निम्नलिखित टिप्पणियों का संदर्भ दिया जा सकता है:

" 1 ..... औद्योगिक विकास को गति देने की दृष्टि से

इच्छुक लोगों को ऋण और अन्य वित्तीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए नई औद्योगिक इकाइयों की स्थापना या मौजूदा इकाइयों का विस्तार करना। कई

अपने बकाया की वसूली के लिए संस्थान। पर्याप्तता की कमी के कारण आधारभूत संरचना और श्रमशक्ति की अनुपलब्धता, नियमित अदालतें

शीघ्रता से निर्णय लेने का कार्य पूरा नहीं कर सके

अनुत्पादक उद्यमों में जनता का पैसा अवरुद्ध हो गया। 2. स्थिति को सुधारने के लिए, भारत सरकार

वित्तीय संस्थान अपने बकाया की वसूली में और सुझाव देते हैं उपचारात्मक उपाय। तिवारी समिति ने नोट किया कि मौजूदा

ठीक होने की प्रक्रिया बहुत बोझिल थी और सुझाव दिया कि

बैंकों के बकाया की वसूली के लिए विशेष न्यायाधिकरणों का गठन किया जाए और वित्तीय संस्थान एक संक्षिप्त प्रक्रिया का पालन करते हैं। द तिवारी

तीन महीने में मामलों के निपटारे का प्रावधान था और शीघ्रता के लिए वसूली अधिकारी को शक्ति प्रदान करना

न्यायनिर्णायक निकायों द्वारा किए गए आदेशों का निष्पादन।

XX

XX

16. इस प्रकार, अधिनियम का उद्देश्य पूर्व के संबंध में उपचार प्रदान करना है

मौजूदा ऋण। यह व्याख्या कि अधिनियम केवल भविष्य के ऋण लेनदेन पर लागू होगा, कानून के उद्देश्य को विफल कर देता है।

गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों को कम करना। यह वस्तु स्पष्ट है

उद्देश्यों और कारणों के कथन में उल्लिखित। जैसा कि सत्यवती टंडन के मामले में उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2001 में बैंकों को एक लाख बीस हजार करोड़ रुपये की राशि बकाया थी, जिसने देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाला था। जाहिर है, इस अधिनियम का उद्देश्य एस. ए. आर. एफ. ए. ई. एस. आई. अधिनियम के तहत प्रदान किए गए तंत्र द्वारा उक्त पूर्व-मौजूदा ऋणों की वसूली करना है। पूर्व-विद्यमान ऋण अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं हैं। इसी तरह, विचाराधीन वित्तीय संस्थान को अधिसूचित करने का उद्देश्य ऐसे संस्थान को मौजूदा ऋणों के संबंध में सरफेसी अधिनियम के प्रावधानों का लाभ उठाने में सक्षम बनाना है। अधिनियम का यह मुख्य उद्देश्य प्रतीत नहीं होता है सुभाष चंद्र पांडा में देखा गया है।

42. हम उससे निम्नलिखित चर्चा को भी पुनः प्रस्तुत कर सकते हैं।

जो द्वारा उठाए गए अधिकांश तर्कों का पूरी तरह से उत्तर देता है

उत्तरदाताओं के लिए वकील:

" 17. इसके अलावा, व्याख्या का स्थापित सिद्धांत कि जबकि मूल अधिकारों को प्रभावित करने वाले क़ानून को माना जाता है

संभावित रूप से, उपचार के मंच और प्रक्रिया को बदलने वाले एक क़ानून को भी ध्यान में नहीं रखा गया है। ये सिद्धांत विशिष्ट में लिए गए दृष्टिकोण का आधार हैं।

इंजीनियरिंग वर्क्स और प्रदीप कुमार गुप्ता। ने कहा कि

विचार वैध और वैध हैं, जो शीर्ष न्यायालय के बाध्यकारी उदाहरणों के पर्याप्त अधिकार द्वारा समर्थित हैं, जिनके लिए संदर्भ हो सकता है

किए जाने वाले और प्रासंगिक अवलोकन निकाले जाने वाले:

1. रफीक्वेनेसा वी। लाल बहादुर छेत्री, आकाशवाणी 1964 एससी 1511

" 9 ... . श्री चटर्जी ने राइट, जे. इन (री एथलमनी एक्स पार्टी या विल्सन (1898) 2 क्यू. बी. डी. 547) द्वारा की गई प्रसिद्ध टिप्पणियों पर भरोसा किया है जब विद्वान न्यायाधीश ने कहा कि यह एक सामान्य नियम है कि जब विधायिका पक्षों के अधिकारों को छीनकर बदल देती है।

या कार्रवाई का कोई अधिकार प्रदान करते हुए, इसके अधिनियम, जब तक कि स्पष्ट शब्दों में वे लंबित कार्यों पर लागू नहीं होते हैं, उन्हें प्रभावित नहीं करते हैं। उन्होंने आगे कहा कि कि उस नियम का एक अपवाद था, अर्थात् जहाँ

अधिनियम केवल प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं और इनका विस्तार नहीं होता है कार्रवाई के अधिकार, उन्हें मौजूदा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड v पर लागू करने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है।

एम/एस। डेकेन क्रोनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड [ए. के. सिकरी, जे.]

अधिकार। संबंधित कानून का बयान देने के लिए

निर्माण के सुसंगत नियम को जिसे अपनाया जाना है इस में वैधानिक प्रावधानों के प्रभाव से निपटने में

किसी वैधानिक प्रावधान का अनुमान उन मामलों में भी लगाया जा सकता है जहां इस तरह के पूर्वव्यापी संचालन में स्पष्ट रूप से निहित प्रतीत होता है

प्रावधान का अर्थ उस संदर्भ में लगाया गया है जहां यह होता है। में।

दूसरे शब्दों में, एक वैधानिक प्रावधान को पूर्वव्यापी माना जाता है

इसे पूर्वव्यापी बनाने का इरादा स्पष्ट रूप से निम्नलिखित है प्रासंगिक शब्द और जिस संदर्भ में वे आते हैं।

(जोर दिया गया) "

43. इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा हमें इस निष्कर्ष पर ले जाती है कि

प्रत्यर्थी संख्या 1 को सरफेसी अधिनियम की धारा 2 (1) (च) के अर्थ के भीतर 'उधारकर्ता' के रूप में माना जाएगा; व्यवस्था को धारा 2 (1) (जेडबी) के तहत 'सुरक्षा व्यवस्था' के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा;

धारा 2 (1) (जेडएफ) के तहत 'सुरक्षा हित' पैदा करने वाले समझौते; और

अपीलार्थी धारा के अर्थ में 'सुरक्षित लेनदार' बन गया

2 (1) (जेड. डी.) सरफेसी अधिनियम का।

44. नतीजतन, हम मानते हैं कि उच्च न्यायालय का निर्णय है

गलत है और उसी को अलग कर दें। इस अपील की अनुमति है। कोई आदेश नहींअवमानना याचिकाओं में पारित किए जाने की आवश्यकता है, जिनका निपटारा किया जा चुका है।

अ

पील की अनुमति दी गई।

कल्पना के. त्रिपाठी